प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (इंडो नेपाल)–सुपौल–01/13–2677/रा0, पटना–15, दिनांक 21/11/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

संख्या.................... पटना दिनांकः–............

अधिसूचना

चुँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–गिदरमारी थाना नं0 188, परगना– धपहर थाना– वीरपुर, जिला– सुपौल, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् इंडो–नेपाल बोर्डर रोड़ निर्माण के लिए प्रथ निर्माण विभाग के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– गिदरमारी थाना– नं0 188 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 4.87 (चार एकड़ सतासी डी0) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः–

पूर्ण खेसरा संख्याः– **शून्य**

अंश खेसरा संख्याः– **01**

चौहद्दीः–

उत्तरः– **खेसरा सं0–01**

दक्षिणः– **खेसरा सं0–01**

पूरबः– **खेसरा सं0–01**

पश्चिमः– सिमा–वीरपुर एवं मुन्शी पिपराही

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चित किया है कि परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

समाहर्त्ता
सुपौल।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

Lup 28/9/13

ज्ञापांकः– 2677 /रा०　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः– 21-11-13

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाि त संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच–पॉच प्रतियॉ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।